बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–72/2019 1845 /पटना, दिनांक–24/6/19

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0सं0	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DHAMDHA	DHAMDHA	Dhamdaha Banmankhi REO Road to Halalpur	1.800	48.37300	21.83400	4.83730	75.04430
2	DHAMDHA	DHAMDHA	Mahabir Shtan on mirganj falka (SH77) to Rangpura ghat	1.500	39.44200	16.49300	3.94420	59.87920
3	DHAMDHA	DHAMDHA	Purnea Rupouli (SH65) AT Rangpura to kajra	2.900	76.71800	31.59500	7.67180	115.98480
4	DHAMDHA	DHAMDHA	Dhamdaha to Mogra Tola (Mogaliyapurandaha)	3.157	84.90900	26.21500	8.49090	119.61490
5	DHAMDHA	DHAMDHA	Sarsi road (Near Asharam) milki samda via kadarganj	6.490	142.34300	62.15700	14.23430	218.73430
6	DHAMDHA	DHAMDHA	Sarsi road Saristmor	2.800	73.98000	30.79400	7.39800	112.17200
7	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Biraniya Chowk Patraha to Phulabariya Mahadalit Tola	3.900	82.94500	38.58400	8.29450	129.82350
8	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	L050 To Gulila Bhitta	1.880	46.25500	19.24200	4.62550	70.12250
9	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Kamalpur jagir to sansani bhatortar	4.350	105.14300	48.82600	10.51430	164.48330
10	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	L031 to Goriyari Tola	1.800	44.31800	18.98300	4.43180	67.73280
11	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Dibra bazar to bhangaha Tola	3.800	91.36500	40.71600	9.13650	141.21750
12	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Arbanna to Patraha	10.300	216.12800	103.98100	21.61280	341.72180
13	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Nathpur to Chabhbha	5.960	162.73400	62.23600	16.27340	241.24340
14	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Deori to Singharapatti	7.800	339.12300	84.89900	33.91230	457.93430
15	DHAMDHA	BRAHARA KOTHI	Bhatotrar HS to Suksena	1.500	33.45000	11.59000	3.34500	48.38500

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

16	DHAMDHA	BHAWANIPUR	Birnia Santhali Tola -Mahaballa	5.650	125.86400	54.32700	12.58640	192.77740
17	DHAMDHA	RUPAULI	Birauli Basgarha	2.820	75.46900	27.72700	7.54690	110.74290
18	DHAMDHA	RUPAULI	PWD road more Teldiha Dhusar	2.750	74.28900	26.30900	7.42890	108.02690
19	DHAMDHA	RUPAULI	Rupouli Teekapatti PWD Road Dumri Bazar	6.900	180.77400	67.92100	18.07740	266.77240
20	DHAMDHA	RUPAULI	Jhankua jhelari road near mushari tola pakaria	2.500	59.69300	23.48400	5.96930	89.14630
21	DHAMDHA	RUPAULI	Siswa more Gorior	5.120	121.71100	49.10200	12.17110	182.98410
22	DHAMDHA	RUPAULI	Tintanga to Goriyar	2.800	73.93700	27.40900	7.39370	108.73970
23	DHAMDHA	RUPAULI	Mataili on T03- Mahaballa	3.310	83.39700	35.96200	8.33970	127.69870
24	DHAMDHA	RUPAULI	Mohanpur Itamabara - Baliya	8.200	223.46900	80.09700	22.34690	325.91290
	Total			**99.987**				**3876.89490**

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, धमदाहा** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **1.06.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**03.06.2019** को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–72/2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो।यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

J. Kumar

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलबध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–72/2019 के पृ0–06/टि0 पर दिनांक–13-06-19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(मो0 सोहैल)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–72/2019 1845 /पटना, दिनांक–24/6/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–72/2019 1845 /पटना, दिनांक–24/6/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **पूर्णिया**/जिला पदाधिकारी, **पूर्णिया** /उप विकास आयुक्त, **पूर्णिया** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **पूर्णिया** /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **धमदाहा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S. Kumar

अपर सचिव